

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी / 2019-20 / 9695

दिनांक: 23-11-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 17128-17332 दिनांक 14.06.2019 द्वारा नियुक्त श्री विजय कुमार धानका, अधिवक्ता, (इन्सोलमेन्ट नं. आर/3936/2010) को नगर पालिका चिडावा के विरुद्ध विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु पुनः अग्रिम आदेश तक पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका चिडावा से देय होगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी / 2019-20 / 9696-9704 दिनांक: 23-11-2021
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी नगर पालिका चिडावा।
06. श्री विजय कुमार धानका, अधिवक्ता, मार्फत नगर पालिका चिडावा।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी